न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या– 03/2022

1. भूराराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवाल निवासी मालासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

बनाम

– अपीलान्ट

1. नोपाराम पुत्र नेतराम जाति नायक निवासी दुधली तहसील रातवसर जिला हनुमानगढ़।

– असल रेस्पोडेन्टस्

2. कानाराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवाल निवासी मालासर तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ़।
3. ओमप्रकाश पुत्र चन्दुराम जाति मेघवाल निवासी मालासर तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ़।
4. मालाराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवाल निवासी मालासर तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ़।

–तरतीबी रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री नरेन्द्रकिशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांट।
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

निर्णय दिनांक 01/06/2023

अपीलांट भूराराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवाल निवासी मालासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ विरूद्व निर्णय दिनांक 29/10/2021 बअदालत तहसीलदार राजस्व रावतसर प्रकरण सं. 3 सन् 2021 नोपाराम बनाम भूराराम में पारित किये गये निर्णय को अपास्त करने हेतु अपील पेश की है, जिसके संक्षेप तथ्य निम्न प्रकार है–

1. यह कि रेस्पो. सं. 1 के द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना –पत्र 183 'बी' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया कि रोही मौजा मालासर तहसील रावतसर के ख.न. 422/297 की 2.276 हैक्टर खातेदारी भूमि है। प्रार्थी/रेस्पो. सं. 1 अनुसुचित जाति का व्यक्ति है एवं प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि बंटाई हिस्सा पर काश्त करने हेतु अप्रार्थीगण को दी थी। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में जुताई करने गया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को जुताई करने से रोक दिया व प्रार्थी को भी पर कब्जा देने से इन्कार कर दिया। रोही मौजा मालासर तहसील रावतसर के ख.न. 422/297 की 2.276 हैक्टर भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है व प्रार्थी उक्त भूमि का रिकार्ड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी की भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है, इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को भूमि पर बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने व कब्जा दिलाये जावे एवं अप्रार्थीगण को प्रार्थी का भूमि रोही मौजा मालासर

01/6/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

तहसील रावतसर के खसरा नं0 422/297 की 2.276 हैक्टर भूमि पर काबिज रहने का कोई विधिक अधिकार नही है एवं रोही मौजा मालासर तहसील रावतसर के ख.न. 422/297 की 2.276 हैक्टर भूमि खातेदारी भूमि का अप्रार्थीगण से कब्जा दिलाया जावे।

2. यह कि उक्त प्रार्थना पत्र में माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 को सम्मन जारी किये गये तथा भू–अभिलेख निरीक्षक पल्लू से रोही मौजा मालासर तहसील रावतसर के ख.न. 422/297 की 2.276 हैक्टर खातेदारी भूमि बाबत मौका रिर्पोट मांगी गई एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की विधिवत सम्मन तामिल होने के पश्चात अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 ने जवाब प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र व जवाब अप्रार्थीगण में अंकित तथ्यों के आधार पर ,भू–अभिलेख से रिर्पोट पुनः मंगवाई गई एवं जवाब प्रार्थना–पत्र एवं भू–अभिलेख रिर्पोट सलग्न पत्रावली की गई।

3. यह कि प्रार्थना–पत्र में बहस सुनी गई एवं अपने–अपने पक्ष में प्रार्थना–पत्र के अनुसार प्रार्थी व गैर प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब अनुसार तथ्य दौहराये तथा अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि पर कब्जा नही किया तथा ना ही अप्रार्थीगण अतिक्रमी है। प्रार्थी अप्रार्थीगण से किसी भी प्रकार की रकम प्राप्त करने के अधिकारी नही है तथा ना ही प्रार्थी का कभी कब्जा कहा। अतः 183 'बी' का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारीज योग्य है, जिस पर माननीय न्यायालय ने अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के कथनो, दस्तावेजों, साक्ष्य को नजर अन्दाज करते हुऐ प्रार्थी का कब्जा दिलाये जाने के आदेश दिये गये। निर्णय दिनांक 29/10/2021 से अपीलार्थी व्यथित व्यक्ति है। इस निर्णय दिनांक 29/10/2021 के विरूद्व निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत कर रहा है।

(क) आक्षेपित निर्णय दिनाक 29/10/2021 पूर्णतः गलत विधि विरूद्व एवं दस्तावेजो एवं साक्ष्य के विपरित पारित किया गया है, जो काबिल निरस्ती है। प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 29/10/2021 संलग्न अपील मिमो है।

(ख) यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में रोही मौजा मालासर तहसील रावतसर के ख.न. 422/297 की 2.276 हैक्टर खातेदारी भूमि पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पो. का कब्जा होना बतलाया है तथा रेस्पो. सं. 1 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा अपने नाम दर्ज हक व हिस्सा की कृषि भूमि काश्त करता आ रहा है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजो एवं भू निरीक्षक की रिपोर्ट का अवलोकन कर निर्णय पारित किया है, जो अपास्तनीय है

(ग) यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम पंचायत मालासर तहसील रावतसर ने भी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, कि रेस्पो. सं. 1 का कहीं पर भी व कभी भी आज तक किसी स्थान पर कब्जा नही रहा तथा ग्राम के व्यक्तियों द्वारा शपथ पत्र की प्रस्तुत किये थे। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित था कि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो. स. 1 का कब्जा नही रहा है तथा माननीय अधीनस्थ न्यायालय बिना दस्वावेज की जांच किये एवं शपथ पत्र पर गौर किए निर्णय पारित किया, जो अपास्तनीय है।

4. यह कि अपीलान्ट का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29/10/2021 बअदालत तहसीलदार राजस्व रावतसर प्रकरण सं. 3 सन् 2021 नोपाराम बनाम भूराराम का पूर्व में ज्ञान नही था तथा तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट का कब्जा छुड़ाने को कहा तो पता चला कि निर्णय अपीलान्ट के खिलाफ हुआ है तथा उसके बाद अपीलान्ट ने उक्त निर्णय पारित की की प्रमाणित प्रति प्राप्त की और बिना किसी देरी के अपील अपीलान्ट पेश कर रहा है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील मियाद

01/6/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

की छुट प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है जो अन्दर मियाद मानी जावे।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर मातहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त फरमाई जावे ।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर श्री राजपाल झोरड़ एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ता 4 को नोटिस तामिल होनें के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुये। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट श्री नरेन्द्र किशोर जोशी ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा माननीय तहसीलदार रावतसर के यहां अपीलांट एंव तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ता 4 के विरूद्ध बेदखली का वाद 183 'बी' आर.टी.ए. वर्ष 1955 में पेश किया था जिसमें श्रीमान तहसीलदार रावतसर द्वारा अपीलांट एंव तरतीबी रेस्पोडेन्ट को बेदखली के आदेश पारित किये गये थे जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने अपील पेश की है। रोही मौजा मालासर तहसील रावतसर के खसरा नं0 422/297 की 2.276है0 भूमि पर अपीलांट एंव तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 4 के कब्जा काश्त की भूमि है। रोही मौजा मालासर के खसरा नं0 422/247 में भूमि प्रार्थी को आवंटित हुई थी एंव प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र खसरा नं0 422/297 का प्रस्तुत किया था तथा खसरा नं0 422/297 की भूमि मालासर से भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन रोड़ के चिपते ऑनलाईन नक्शा में दर्शाये जाने के कारण प्रार्थी के मन में लालच व बदनीयती आ गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का अपनी भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा। उन्होनें पूर्व में सक्षम अधिकारी के समक्ष सीमाज्ञान का प्रार्थना–पत्र देकर सीमाज्ञान वर्ष 2013 में करवाया परन्तु प्रार्थी को भूमि कहीं नहीं मिली तथा अनेक बार हम अप्रार्थीगण के पड़ोसियों से मिलकर सीमाज्ञान करवाया था परन्तु प्रार्थी की भूमि कहीं नहीं मिली। प्रार्थी ने जो भी खसरा नं0 422/297 गई है। यह भूमि ऑनलाईन नक्शा में सड़क के समीप गलत रूप से दर्शायी गई। यह प्रार्थी की भूमि नहीं है तथा न ही प्रार्थी का भूमि पर कब्जा कभी रहा है। अपीलांट एंव तरतीबी रेस्पोडेन्ट ने अपनी भूमि पर ट्युबवैल लगा रखा है तथा अपीलांट एंव तरतीबी रेस्पोडेन्ट उतनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थी(रेस्पोडेन्ट) ने जिन धाराओ में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था, वो भी गलत रूप से प्रस्तुत किया क्योंकि धारा 183 'बी' का प्रार्थना–पत्र तभी सुनवाई योग्य होता है जब अनुसूचित जाति की भूमि पर अनुसूचित जाति से भिन्न जाति का व्यक्ति अतिक्रमी होता है जबकि प्रशनगत प्रार्थना–पत्र में ऐसा नहीं है। इसलिए माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कतई गलत तौर से पारित किया गया है, जो कि अपास्तनीय है। रोही मौजा मालासर के खसरा नं0 422/297 की 2.276है0 भूमि पर पटवारी हल्का एंव भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में कब्जा भी अपीलांट एंव तरतीबी रेस्पोडेन्ट का होना बतलाया गया तथा रेस्पोडेन्ट की अलॉटशुदा भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा। यदि रेस्पोडेन्ट की भूमि है तो किलाबन्दी एं मुरब्बाबंदी में निकल जायेगी परन्तु उपरोक्त प्रार्थना–पत्र में पारित निर्णय तहसीलदार रावतसर द्वारा कतई गलत रूप से पारित किया गया है,जो अपास्तनीय है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर द्वारा पारित निर्णय सही है एंव कानून सम्मत है। न्यायालय हाजा से निवेदन है कि मैरिट के आधार पर निर्णय पारित किया जावे।

01/6/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

हमनें दोनो पक्षो के कथनो को सुना और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एंव उसमे लगे दस्तावेजो का भी अवलोकन, अध्ययन किया। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 183'बी' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रयोग पर ही आपति उठाई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखने व धारा 183'बी' की व्याख्या का भी विस्तृत अध्ययन करनें पर ज्ञात होता है कि उक्त धारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति द्वारा धारित भूमि पर किसी अत्याचारी द्वारा कब्जा/अतिक्रमण करने पर लागू होती है। अत्याचारी व्यक्ति अत्याचारी होता है, चाहे वह अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का ही क्यों न हो। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय में विधिक भूल नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षो को सुनवाई का पूर्व अवसर देते हुए एंव मौका स्थिति का पूरा संज्ञान लेकर ही निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कहीं तकनीकी भूल नहीं की है। जहां तक अपीलांट का प्रश्न है, उनके द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो कि यह उनकी भूमि है। पूर्व में किए गये किसी भी प्रकार के सीमाज्ञान का दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं है और न ही भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्ज है। ऐसे में अपीलांट के पूर्व में करवाए गए सीमाज्ञान के कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कब्जे को लेकर सरपंच द्वारा प्रस्तुत प्रमाणन, सरपंच के इस कार्य हेतू अधिकृत न होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

सभी तथ्यों के प्रकाश में यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट अपनी अपील को सिद्ध नहीं कर पाये है और अधीनस्थ न्यायालय ने भी कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का तलबशुदा रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.06.2023 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

01/06/2023

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)